

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक : प.1(1)चि.स्वा./गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 30.04.2021

आदेश

राज्य में मानव जीवन की रक्षा हेतु आवश्यक उपकरण यथा ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर व HUMIDIFIER आदि की समय पर आपूर्ति हेतु जिन विभिन्न स्रोतों से ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर आदि की खरीद/आपूर्ति की जा सकती है, की संभावना तलाशने तथा आपूर्ति/खरीद के तौर-तरीके (Modalities) तय करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्न अधिकारियों के उच्च स्तरीय गुप का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
2. श्री प्रीतम बी. यशवन्त, आयुक्त विभागीय जांच।
3. श्रीमती टीना डाबी, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।

उक्त आदेश मुख्य सचिव महोदय से अनुमोदित है।

(सिद्धार्थ महाजन)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. निजी सचिव, आयुक्त विभागीय जांच।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।

(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव